न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर
समक्ष : अशोक शिवहरे
सदस्य

(1) निगरानी प्रकरण कमांक 567/III/2014– विरूद्ध आदेश दिनांक 5–2–14 पारित–अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर –प्रकरण कमांक 707/2012–13 अपील के पक्षकार –

नारायण सिंह पुत्र गंगाराम रावत
निवासी ग्राम दरौंनी तहसील एंव
जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश ---आवेदक

विरूद्ध

बल्लभ प्रकाश पुत्र सत्यपाल जैन
निवासी सत्य सदन महल कालोनी
तहसील व जिला शिवपुरी म0प्र0 ---अनावेदक

(2) निगरानी प्रकरण कमांक 623/III/2014– विरूद्ध आदेश दिनांक 5–2–14 पारित–अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर –प्रकरण कमांक 707/2012–13 अपील के पक्षकार –

बल्लभ प्रकाश पुत्र सत्यपाल जैन
निवासी सत्य सदन महल कालोनी
तहसील व जिला शिवपुरी म0प्र0 ---आवेदक

विरूद्ध

नारायण सिंह पुत्र गंगाराम रावत
निवासी ग्राम दरौंनी तहसील एंव
जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश ---अनावेदक

नि0 प्र0 क0 567/III/2014 में आवेदक के अभिभाषक श्री जी.पी.नायक
अनावेदक के अभिभाषक श्री एस.पी.धाकड़
नि0 प्र0 क0 623/III/2014 मेंआवेदक के अभिभाषक श्री एस.पी.धाकड़
अनावेदक के अभिभाषक श्री जी.पी.नायक

आ दे श

(आज दिनांक 22-05–2014 को पारित)

यह दो निगरानी अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 707/2012–13 अपील में पारित आदेश दिनांक 5–2–14 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई हैं। दोनों

निगरानी प्रकरणों के पक्षकार , भूमि तथा वादविषय समानस्वरूप के होने से इस आदेश व्दारा निराकरण किया जा रहा है।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि नारायण सिंह पुत्र गंगाराम रावत निवासी ग्राम दर्रौनी तहसील शिवपुरी ने बल्लभ प्रकाश पुत्र सत्यपाल जैन के विरूद्व तहसील न्यायालय शिवपुरी में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बताया कि ग्राम दर्रोनी स्थित भूमि सर्वे कमांक 772 रकबा 0.940 हैक्टर (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है) पर उसका पिछले 20—25 वर्ष से कब्जा चला आ रहा है एंव वह अपने हल बैलों से कृषि करके अनाज पैदा करता आ रहा है। वर्तमान में भूमि पर गेहूँ, सरसों एंव चना की फसल है। अनावेदक बल्लभ प्रकाश ने उसे कभी नहीं रोका है, इसलिये वादग्रस्त भूमि पर अभिलेख में उसका कब्जा दर्ज करने का आदेश दिया जावे। नायव तहसीलदार शिवपुरी ने प्रकरण कमांक 16/2011—12 अ 6 (अ) पंजीबद्व किया । अनावेदक बल्लभ प्रकाश पुत्र सत्यपाल जैन सूचना देने पर भी अनुपस्थित रहा। नायव तहसीलदार ने राजस्व निरीक्षक/पटवारी हलका से मौके की रिपोर्ट प्राप्त कर कब्जा होना प्रमाणित पाये जाने से आदेश दिनांक 19—6—12 पारित किया तथा वादग्रस्त भूमि पर नारायण सिंह का कब्जा पटवारी अभिलेख में [illegible] दर्ज करने के आदेश दिये।

नायव तहसीलदार के आदेश के विरूद्व बल्लभ प्रकाश पुत्र सत्यपाल जैन ने प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, शिवपुरी के समक्ष प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी, शिवपुरी ने प्रकरण कमांक 34/2012—13 अपील में पारित आदेश दिनांक 27 जून 2013 से अवधि विधान की धारा—5 का आवेदन सदभावना पर आधारित न होना पाने के कारण अपील अवधि वाह्य होने से निरस्त की। अनुविभागीय अधिकारी, शिवपुरी के इस आदेश के विरूद्व व्दित्तीय अपील अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष होने पर प्रकरण कमांक 707/2012—13 अपील में पारित आदेश दिनांक 5—2—14 अनुविभागीय अधिकारी,शिवपुरी का आदेश दिनांक 27—6—13 निरस्त किया तथा अपील को

समयावधि में मानकर निराकरण करने के निर्देश दिये। अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के इसी आदेश से परिवेदित होकर उभय पक्ष व्दारा यह दो निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ दोनों निगरानी प्रकरणों में उठाये गये बिंदुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों ने लिखित तर्क प्रस्तुत किये है , पर विचार करने के साथ अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया।

3/ बल्लभ प्रकाश पुत्र सत्यपाल जैन निगरानीकर्ता के अभिभाषक ने बताया है कि वादोक्त भूमि पटवारी अभिलेख में वल्लभ प्रकाश जैन के नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर दर्ज है उस पर अपना कब्जा होना बताकर पटवारी अभिलेख में कब्जा दर्ज करने का आवेदन तहसील में दिया गया तथा फर्जी तामील दरौंनी के पते पर कराकर एकपक्षीय कब्जा गलत ढंग से आदेश कराया गया है, जिसकी अपील अनुविभागीय अधिकारी शिवपुरी के समक्ष करने पर एंव अवधि विधान की धारा–5 का आवेदन शपथ पत्र सहित दिया गया किन्तु अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 27–6–13 से अस्वीकार करने में भूल की है और जब अपर आयुक्त के समक्ष अपील की गई तब अपर आयुक्त ने अपील स्वीकार कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त कर दिया किन्तु तहसील के आदेश दिनांक 19–6–12 को यथावत् रखने पर गलती की है । उन्होंने बताया है कि तहसील न्यायालय का आदेश एकपक्षीय है 2000 आर.एन. 177 मोहम्मद विरूद्व मोहन का उदाहरण देते हुये प्रकरण का निराकरण गुणागुण पर करने की मांग कर तहसील न्यायालय के आदेश को निरस्त करने की मांग रखी।

नारायण सिंह पुत्र गंगाराम रावत की ओर से अभिभाषक ने बताया है कि जब तहसील न्यायालय में कब्जा लिखने का आवेदन दिया था नारायण सिंह का पिछले 25 वर्ष से वादग्रस्त भूमि पर कब्जा चला आ रहा है और वर्ष 2014 की स्थिति में कब्जे को 27 वर्ष से अधिक समय हो चुका है जिसके कारण आवेदक को सिकमी कास्तकार के अधिकार प्राप्त हो चुके हैं । उन्होंने यह भी बताया है

कि 2000 आर.एन. 177 मोहम्मद विरूद्व मोहन ओव्हर रूल हो चुकी है क्योंकि रामभरोसे विरूद्व हरगोविन्द 2004 राजस्व निर्णय 365 में माननीय अध्यक्ष राजस्व मण्डल ने खसरे में कब्जे की प्रविष्टि की व्यवस्था दी है। लेखी बहस में यह भी अंकित किया है कि सनमान सिंह बनाम लखनसिंह 2001 राजस्व निर्णय 244 में राजस्व अभिलेख में प्रविष्टियों को संशोधित किया जा सकता है एंव निजी भूमि पर आधिपत्य दर्ज किया जा सकता है, उन्होंने अपर आयुक्त के आदेश को निरस्त करने एंव अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को स्थिर रखने की मांग की।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के आदेशों के अवलोकन पर प्रकरण में मात्र यह विचार करना है कि अनुविभागीय अधिकारी शिवपुरी व्दारा आदेश दिनांक 27—6—13 में एंव अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर व्दारा पारित आदेश दिनांक 5—2—14 में किस प्रकार की त्रृटियॉ की हैं ? अनुविभागीय अधिकारी, शिवपुरी के आदेश दिनांक 27—6—13 के अवलोकन पर पाया गया कि उन्होंने अपील इस आधार पर निरस्त की है क्योंकि नायव तहसीलदार के आदेश दिनांक 19—6—12 के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 31—12—12 को अर्थात 6 माह से अधिक विलम्ब से अपील प्रस्तुत की गई है। तहसील न्यायालय के प्रकरण कमांक 16/11—12 अ 6 अ में पृष्ठ कमांक 19 पर वल्लभ प्रकाश को पेशी 30.1.12 को जारी किये गये सूचना पत्र की प्रति संलग्न है, जिसके पीठ पृष्ठ पर तामील कुनिन्दा की टीप है कि समय के अभाव में तामील नहीं करा सका। इसके वाद पुनः पेशी 22—2—12 का सूचना पत्र जारी हुआ है, जिसके पीठ पृष्ठ पर वल्लभ प्रकाश के सूचना पत्र प्राप्ति वावत् हस्ताक्षर हैं और वावजूद सूचना इस पेशी पर वह अनुपस्थित रहा है जिसके कारण नायव तहसीलदार ने उसके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की है,जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी ने अवधि विधान की धारा—5

में दिये विवरण को समाधानकारक होना नहीं मानकर अपील बेरूम्याद होने से निरस्त की है ।

1. भू–राजस्व संहिता,1959 (म.प्र.)–धारा–47 तथा 44 – समय बर्जित अपील– विलम्ब माफी हेतु आवेदन – आदेश की जानकारी का सही श्रोत नहीं दर्शाया गया – प्रत्येक दिन के विलंब के विषय में स्पष्टीकरण नहीं – विलंब माफ नहीं किया जा सकता।
2. म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959– धारा 44 – 47 – समयवर्जित अपील सुनने की अधिकारिता अपील न्यायालय को नहीं होती। अपील न्यायालय ऐसी अपील में केवल उसे समय–वर्जित होने के आधार पर खारिज करने का आदेश दे सकता है, उसके गुणागुण पर निर्णय करने की अधिकारिता उसे प्राप्त नहीं है। (चीफ एक्जीक्यूटिव्ह आफीसर जनपद सभा सिहोरा विरूद्व जे0डी0दीक्षित 1967 J.L.J. 377 से अनुसरित)
3. म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959– धारा 47 – अनुचित विलम्ब को क्षमा करके एक पक्षकार को लाभ देते हुये द्वित्तीय पक्षकार को प्रोदभूत मूल्यवान अधिकार को विनष्ट नहीं किया जा सकता। (माधरीवाई विरूद्व ग्रासिम इंडस्ट्रीज 1995 J.L.J. 217 से अनुसरित)

अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर ने संहिता की धारा 44 एंव 47 में दी गई व्यवस्था एंव उक्तानुसार वर्णित न्यायिक दृष्टांतों को अनदेखा करते हुये अपील स्वीकार कर अनुविभागीय अधिकारी को अपील समयावधि में मानकर गुणागुण पर आदेश पारित करने के निर्देश देने में त्रृटि करना परिलक्षित है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 707/2012–13 अपील में पारित आदेश दिनांक 5–2–14 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी, शिवपुरी द्वारा प्रकरण कमांक 34/2012–13 अपील में पारित आदेश दिनांक 27 जून 2013 स्थिर रहता है। परिणामस्वरूप निगरानी कमांक 567/III/2014 स्वीकार की जाकर निगरानी कमांक 623/III/2014 निरस्त की जाती है।

(अशोक शिवहरे)
सदस्य
राजस्व मंडल
मध्य प्रदेश ग्वालियर